...ालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(...सीन अधिकारी मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...ल संख्या :– 221/2009 निर्णय दिनांक :– 24.12.2024

...नवानी दावा :

1. उदयलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
2. प्रेमलाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
3. मोरपाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
4. गोरधन पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
5. शिवजीलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
6. शंकरलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
7. बदाम पत्नी प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

–वादीगण–

बनाम

1. ~~भगवान पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी~~ **(मृतक)**

1/1. रमेश पुत्र भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

1/2. देवराज पुत्र भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

1/3. देशराज पुत्र भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

1/4. देवराज पुत्री भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

2. हरदेव पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

3. ~~भवानी शंकर पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी~~ **(मृतक)**

3/1. धर्मराज पुत्र भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

3/2. सुमन पुत्री भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

3/3. नीतू पुत्री भवानी शंकर नाबालिग जरिये संरक्षक माता जानकी पत्नी भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

3/4. जानकी पत्नी भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

4. झूमा पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

5. सीता पुत्री जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी ज़िला टोंक

6. तहसीलदार जी देवली/दूनी जिला टोंक

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री भगवान सिंह सोलंकी
श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी,

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण संख्या
1/1 ता 1/4, 2 3/1
ता 3/4 व 4 ता 5

दावा उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है

वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व 5 ता 7 के दादा तथा वादीया 8 के ससुर श्री भूरा राम एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता अम्बालाल पस में सगे जाईन्दा भाई थे, जिनका सजरा निम्न प्रकार है :–

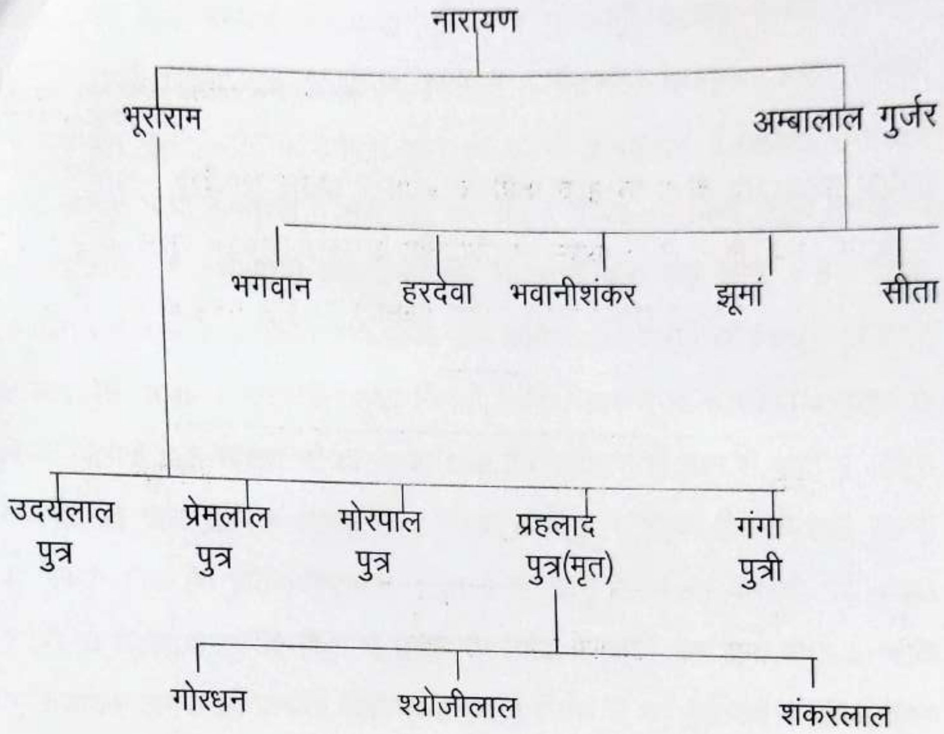

भूराराम व अम्बालाल/काफी अर्से पूर्व मृत्यु हो चुकी है। जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण वैधानिक वारिसान है। स्व0 भूराराम व स्व0 अम्बालाल ने अपने जीवन काल में जीविकोपार्जन हेतु काश्त करने बाबत भूमि बनाई थी जो ठीकाने के शासन काल से दोनो का बराबर बराबर भाग पर कब्जा था। वादीगण के पूर्वज भूरा राम सेना में भर्ती होने के बाद भारतीय सेना में कार्यरत रहे और उपरोक्त भूमि की देखभाल हेतु अपने छोटे भाई अम्बालाल को नियुक्त कर दिया। भूराराम जब भी छुटियों पर आता दोनो भाई अपना हिसाब कर लेते थे। ठिकाने का राजस्थान सरकार में विलय होने पर सवंत 2013 में भूमि का सेटलमेंट हुआ उस समय भी वादीगण के पूर्वज सेना में कार्यरत होने के कारण प्रतिवादीगण के पिता अम्बालाल द्वारा ही भू–प्रबंधन का कार्य करवाया था, भू प्रबंधन से पूर्व आराजी खसरा नं0 6 व 7 पर स्व0 भूराराम व अम्बालाल का बराबर संयुक्त रूप से कब्जा था। भू–प्रबंध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 6 के स्थान के स्थान पर नये ख. नं. 43 रकबा 1. 39 एवं ख. नं. 7 केनये नं. 44 रकबा 1.64 है0 बनाये गये है। सम्वत 2013 में हुए

के दोरान प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के पिता अम्बालाल पुत्र रीरायण ने ण के पिता के नाम खसरा नं. 6 रकबा 4 बीघा 19 बीस्वा भूमि खाते में लगाई तथा प्रतिवादीगण के पिता ने अपने नाम ख. नं. 7 की सम्पूर्ण भूमि 6 बीघा 1 बिस्वा अपने नाम लगवाई है। उक्त भूमि ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित हैं । सेटलमेंट प्रथम के समय भूराराम पुत्र नारायण गुर्जर भारतीय सेना में होने के कारण अम्बालाल ने फायदा उठा कर अपने नाम 6 बीघा 1 बीस्वा व भूरा राम के नाम 4 बीघाा 19 बिस्वा भूमि लगवा दी और सेटलमेंट से पर्चे प्राप्त कर अम्बालाल ने अपने पास रख लिये । इस प्रकार अम्बालाल ने 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपने नाम अधिक दर्ज करवा ली। प्रथम सेटलमेंट के बाद पुनः 2046 में सेटलमेंट हुआ जिसमें साबिक खसरा नं. 6 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 43 रकबा 1.39 है0 वादीगण के नाम से खाते में अंकित कर दी गई तथा साबिक खसरा नं. 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा 44 रकबा 1.64 है0 प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के खाते में अंकित कर दी गई । इस प्रकार से प्रतिवादीगण के पिता ने प्रथम सेटलमेंट में अपने नाम एक बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिक लगवा ली जबकि मौके पर कब्जा वादीगण के पूर्व भूराराम व प्रतिवादीगण के पिता अम्बा लाल का बराबर हिस्सा रहा हैं। जो ठिकाने के समय एवं प्रथम सेटलमेंट के खसरा से भी साबित होता है। वर्ष 2046 में हुए सेटलमेंट में वादीगण के नाम खसरा नं. 43 रकबा 1.39 है0, खाते में लग गई जबकि प्रतिवादीगण के नाम खसरा नं0 44 रकबा 1.64 है0 खाते में अंकित की गई है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते में बराबर बराबर 1.52 है0 भूमि प्रत्येक के लगनी चाहिए थी। किन्तु वादीगण के खाते में 0.13 है0 कम अंकित की गई है जिसको वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दरूस्त करवाकर अपनी खातेदारी उद्घोषित कराने के अधिकारी हैं। आज भी वादी का कब्जा 1.52 है0 पर चला आ रहा है, वादीगण ख. नं. 44 में से 0.13 है0 की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। वादीगण का खसरा नं. 43 रकबा 1.39 है0 एवं ख. नं. 44 रकबा 0.13 है0 पर काबिज चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत पैदा करते है वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है कि वे

के कब्जेकाश्त में स्वयं जरिये नोकर चाकर अथवा पारिवारिक सदस्यो के व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और ना ही करावे। प्रतिवादीगण संख्या 6 तहसीलदार ... देवली के लेण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। वाद कारण राजस्व रिकॉर्ड देखने से व पुराना रिकॉर्ड लेने पर दिनांक 23.08.2008 के उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। विवादित भूमि ग्राम मुगलानी तहसील देवली/दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित होने के कारण न्यायालय हाजा को वाद पत्र श्रवणाधिकार प्राप्त हैं । वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92ए, 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत है। वाद पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन हे कि

(अ) डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत दुरस्ती इन्द्राज व उद्घोषणा की इस अमर की पारित की जावे कि आराजी खसरा नं0 44 रकबा 1.64 है0 में से 0.13 है0 भूमि जो खसरा नं. 43 रकबा 1.39 है0 से मिलती हुई है के पास जुड़वा भूमि वाके ग्राम मुगलानी पटवार हल्का मुगलाना तहसील देवली जिला टोंक राज0 का पूर्वजो की भूमि होने के कारण काबिज खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद फरमाया जावें।

(ब) डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पारित फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे भूमि खसरा नं0 43 रकबा 1.39 है0 व खसरा नं0 44 रकबा 0.13 है0 मे किसी तरह की मजाहमत व मदाखलत न तो स्वंय करे ना ही जरिये एजेन्ट, नौकर चाकर रिश्तेदार व पारीवारिक सदस्ये के करे तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदा सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे।

(स) खर्चा मुकदमा एवं अन्य सहायता जो वादीगण के हित में लाभप्रद हो प्रदान की जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

जवाब दावा प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता राजेश जैन के जवाब पेश किया जो इस प्रकार पेश है :–वाद पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 3 में भूमि होना स्वीकार है परन्तु भूरालाल व अम्बालाल के बराबर बराबर भूमि नहीं थी। वाद पत्र

... नं0 4 में भूराराम सेना मे कार्यरत होना स्वीकार है, शेष गलत है, स्वीकार है। भूराराम की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि की कभी भी अम्बालाल ने ...भाल नहीं की। वाद पत्र का चरण नं0 5 में सम्वत 2013 में सेटलमेंट होना स्वीकार है, शेष गलत है वाद पत्र का चरण नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं0 7 गलत है, स्वीकार नही है। वाद पत्र का चरण नं0 8 गलत है, स्वीकार नही है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में अंकित है। वाद पत्र का चरण नं0 9 गलत है तथा स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 10 गलत है, स्वीकार नही है। स्पष्टीकरण विशेष आपतियों में अंकित है। वाद पत्र का चरण नं0 11 गलत है, स्वीकार नही है। वाद पत्र का चरण नं0 12 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र का चरण नं0 13 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण को कोई वाद कारण पेदा नही हुआ है। वाद पत्र का चरण नं. 14 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नं. 15 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। वाद पत्र का चरण नं0 16 कानूनी है। जवाब की आवश्यकता नही है। वादीगण द्वारा चाही गयी प्रार्थना अ, ब, स गलत है, स्वीकार नहीं है।

।।विशेष आपतियां।। वास्तविकता यह है कि स्व0 भूरालाल व स्व0 अम्बालाल ने अपने जीवनकाल में अलग अलग भूमिय बनाई थी तथा दोनो ही अपनी अपनी भूमि पर काबिज थे। स्व0 भूरालाल के साबिक ख0नं0 6 में 4 बीघा 19 बीस्वा भूमि दर्ज थी जिसके हाल ख0नं0 43 है तथा स्व0 अम्बालाल के खाते में साबिक ख0नं0 7 रकबा 6 बीघा 1 बीस्वा भूमि जमाबंदी सवंत 2013 में दर्ज थी जिसके हाल ख0नं0 44 है तथा बाद में स्व0 अम्बालाल के साबिक ख0नं0 8 में 1 बीघा 17 बीसवा भूमि आवंटन हुई थी इस प्रकार स्व0 अम्बालाल के खाते में 7 बीघा 18 बीस्वा भूमि अंकित होनी चाहिये थी जो वर्तमान में लगभग 0.34 है0 भूमि कम है जबकि स्व0 भूरालाल के नाम वर्तमान में 1.39 है0 भूमि दर्ज है जबकि वास्तविक रूप से स्व0 भूरालाल के नाम मात्र 4 बीघा 17 बीस्वा भूमि यानि 1.24 है0 के लगभग होनी चाहिये। इस प्रकार स्व0 भूरा के खाते में 0.15 है0 भूमि अधिक अंकित है। वादीगण ने गलत तथ्य वर्णित करते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण की भूमि 0.15 है0 वादीगण के नाम अधिक लगी हुई है

दुरूस्ती की कार्यवाही अलग से प्रतिवादीगण करेगे। जवाब दावा पेश कर ...न है कि वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये जो इस प्रकार ...:–

तनकियात बिन्दू:–

1. **विवादित आराजी ख. नं. 44 रकबा 1.64 है0 में से 0.13 है0 वाके ग्राम मुगलानी जो ख. नं. 43 रकबा 1.39 है0 से मिलती हुई भूमि है, के समीप उक्त 0.13 है0 की खातेदारी अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में घोषित करवाने के साथ प्रति. गण को उक्त रकबे पर स्थायी निषेधाज्ञा से मजामहत न करने हेतु पाबंद करवाने के हकदार है?** –वादीगण–
2. **आया प्रति. गण प्रस्तुत दावा न्यायसंगत नहीं है ?**

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 वादी उदयलाल पुत्र भूराराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम मुगलानी तहसील देवली जिला टोंक का पेश किया।

वादी ने प्रदर्श डलवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–1 खसरा भू प्रबन्ध विभाग, प्रदर्श–2 व 3 पर्चा खतोनी, प्रदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–5 जमाबन्दी प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–7 जमाबन्दी, प्रदर्श–8 नक्शा ट्रेस पेश किये है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं कराये जाना जाहिर करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई ।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्ल्यू–1 भवानीशंकर पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील देवली/दूनी का पेश किया।

प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद साक्ष्य के अनुपस्थित रहने से और अन्य साक्ष्य नहीं बुलाये जाने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए ...यन किया ओर वाद वादी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/4, 2, 3/1 ता 3/3, 4 व 5 के असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तनकीवार निर्णय

तनकी नं. 1 का निर्णयः– तनकी नं. 1 को साबिक करने का भार वादी पर था। वादीगण ने वाद के समर्थन में प्रदर्श करवाये जिनका विवेचन इस प्रकार हैः–प्रदर्श–1 खसरा पत्रक भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2013 में साबिक ख. नं. 6 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा का कॉलम संख्या 24 में भूरा वल्द नाराण जाति गुर्जर सा. देह, साबिक ख. नं. 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कॉलम संख्या 24 में अम्बालाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर सा. देह, दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–2 भू प्रबन्ध विभाग पर्चा खतोनी सम्वत 2013 में खाता संख्या 21 में भूरा पुत्र नारायण जाति गुजर ठिकाना दूनी सा. देह के नाम के नाम विवादित ख. नं. 6 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा के अलावा अन्य आराजी ख. नं. 11 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 22 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख. नं. 37 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख. नं. 42 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख. नं. 60 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा, ख. नं. 166 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख. नं. 232 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख. नं. 237 रकबा 2 बीघा, ख. नं. 302 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 10 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है ।

प्रदर्श–3 भू प्रबन्ध विभाग पर्चा खतोनी सम्वत 2013 में विवादित ख. नं. 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के अलावा अन्य आराजी ख. नं. 165 रकबा 2 बीघा, ख. नं. 216 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 232 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 235 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख. नं. 236 रकबा 10 बिस्वा, ख. नं. 238 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, कुल किता 7 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है

प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 निम्ना अनुसार हैः–

म्बर	रकबा	नये नम्बर	रकबा	नाम खातेदार
	4 बी. 19 बि.	43	1.39 है0	
	6 बी. 1 बि.	44	1.64 है0	

प्रदर्श –5 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 के अनंसार प्रतिवादीगण के नाम ख. नं. 44 रकबा 1.64 है0, ख. नं. 185 रकबा 0.50 है0, ख. नं. 276 रकबा 0. 32 है0, ख. नं. 304 रकबा 0.39 है0, ख. नं. 305 रकबा 0.24 है0, ख. नं. 306 रकबा 0.42 है0, ख. नं. 310 रकबा 0.03 है0, ख. नं. 314 रकबा 0.29 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.83 है0 दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2062–65 के अनंसार वादीगण के नाम ख. नं. 23 रकबा 0.36 है0, ख. नं. 34 रकबा 0.42 है0, ख. नं. 43 रकबा 1.39 है0, ख. नं. 50 रकबा 0.82 है0, ख. नं. 79 रकबा 0.38 है0, ख. नं. 80 रकबा 0.43 है0, ख. नं. 99 रकबा 1.59 है0, ख. नं. 184 रकबा 0.68 है0, ख. नं. 307 रकबा 0.60 है0, ख. नं. 309 रकबा 0.24 है0, ख. नं. 311 रकबा 0.11 है0, ख. नं. 312 रकबा 0.13 है0, ख. नं. 313 रकबा 0.10 है0, ख. नं. 423 रकबा 0.10 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 7.535 है0, दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्तानुसार प्रदर्शो का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि वादीगण द्वारा अपने वाद यह उल्लेख किया है कि

प्रदर्श–1 व 2 खसरा पत्रक सम्वत 2013 के अन्तिम कॉलम 24 में तत्समय जो काश्तकार था उसी का नाम वर्णित होता था, जिसमें यह साबित नहीं होता है कि ख. नं. 6 व 7 पर अम्बालाल व भूरालाल का शामलाती कब्जाकाश्त रहा हो। इन शामलाती कब्जेकाश्त बाबत वादीगण ने अन्य कोई स्वतंत्र गवाह के बयान/शपथ पत्र/साक्ष्य भी पेश नहीं किया है ।

प्रदर्श–3 व 4 भू–प्रबन्ध विभाग के पर्चा खतोनी ठिकाना दूनी सम्वत 2014 से 2029 में तत्समय जिन खातेदारो का कब्जाकाश्त रहा है उसी अनुसार अम्बालाल व भूरालाल के नाम अलग अलग खाता व खसरा नम्बर वर्णित है।

प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में नये ख. नं. साबिक ख. नं. से बनाये गये जिनका मिलान उक्तानुसार साबित होता है।

वादीगण हाल ख. नं. 44 रकबा 1.64 है0 में से 0.13 है0 भूमि जो खसरा 43 रकबा 1.39 है0 से मिलती हुई है, के लिए वाद किया है । साबिक ख. नं. ाबिक ख. नं. 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा से बने हाल ख. नं. 44 रकबा 1.64 है0 बने है परन्तु प्रदर्श–1 के अनुसार साबिक ख. नं. 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा पर कॉलम संख्या 24 अनुसार कब्जा अम्बालाल वल्द नारायण जाति गुर्जर का रहा है, तो इसी अनुसार वर्तमान में ख. नं. 344 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी ने साबिक ख. नं. 7 बाबत कहीं भी, किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो से यह साबित नहीं किया है कि पूर्व में साबिक ख. नं. 7 अम्लालाल व भूरालाल की शामलाती भूमि रही हो और सेटलमेंट से लेकर अब तक विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त रहो हो।

अतः वादीगण द्वारा वाद को राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो व कब्जेकाश्त से साबित नहीं करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं. 2 का निर्णयः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है परन्तु एकपक्षीय कार्यवाही से पूर्व भी प्रतिवादीगण द्वारा तनकी नं. 2 के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

आदेश

उक्तानुसार विवेचन व विश्लेषण से यह साबित है कि राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो व कब्जेकाश्त से साबित नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 24.12.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उपखण्ड अधिकारी..

अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टो.........................मुकाम देवली

नवानी दावा :

1. उदयलाल पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
2. प्रेमलाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
3. मोरपाल पुत्र भूराराम जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
4. गोरधन पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
5. शिवजीलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
6. शंकरलाल पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
7. बदाम पत्नी प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक

—वादीगण—

बनाम

1. ~~भगवान पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी~~ (मृतक)

1/1. रमेश पुत्र भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

1/2. देवराज पुत्र भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

1/3. देशराज पुत्र भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

1/4. देवराज पुत्री भगवान जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

2. हरदेव पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
3. ~~भवानी संकर पुत्र अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी~~ (मृतक)

3/1. धर्मराज पुत्र भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

3/2. सुमन पुत्री भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

3/3. नीतू पुत्री भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

3/4. जानकी पत्नी भवानी शंकर जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी

4. झूमा पुत्री अम्बालाल जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
5. सीता पुत्री जाति गुर्जर निवासी मुगलानी तहसील दूनी जिला टोंक
6. तहसीलदार जी देवली/दूनी जिला टोंक

—प्रतिवादीगण—

<u>दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नं. 221 सन् 2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री भगवान सिंह सोलंकी व श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4, 3/1 ता 3/4 व 4 ता 5 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है

आदेश

राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यो व प्रलेखिय साक्ष्यो व कब्जेकाश्त से साबित नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक..बाबत् ....

....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

09 उनवान उदयलाल बनाम रमेश वगै.
2.2024

मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 2024
ारी किया गया।

दस्तख्त ....

ुहर

ओहदा ....

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए